संख्याः- 1767 / III(2) / 13-38(ग्रा0आ0) / 2013

प्रेषक,

महिमा,
अनु सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 14 दिसम्बर, 2013

विषयः– वित्तीय वर्ष 2013–14 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 13 कार्यो की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0/कु0क्षे0, लो0नि0वि0, पौड़ी/अल्मोड़ा द्वारा संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 13 कार्यो के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 58.00 किमी0 + 10 सेतु तथा लागत ₹ 420.74 लाख है, पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत **₹ 417.93 लाख** (₹ चार करोड़ सतरह लाख तिरानवे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में संलग्नक के कॉलम सं0–5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 13 कार्य हेतु ₹ 1.30 लाख (₹ एक लाख तीस हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i)– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:–1764/III(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0– 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध मे यथावश्यक व्यय अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सडकें– आयोजनागत–800–अन्य व्यय–05–सडक/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण –00–24 वृहत निर्माण मद मे विभागीय आय–व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता-II
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
पुरोला (उत्तरकाशी)

शासनादेश संख्या:- 6969/III(2)/13-38(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 14 दिसम्बर, 2013 का संलग्न

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई किमी0 में	टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 407/2013 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड-भिलंगना मे मुयालगांव-तोणखण्ड- बमोली मोटर मार्ग का स्टील गर्डर मोटर सेतु सहित निर्माण।	4.50 + 01brg	53.93 (₹ 28.01 + ₹ 25.92 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
2	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 140/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में जखवाड़ी-मल्ली-मगरूखाल से घुत्तू भिलंगना तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	25.00	249.75 (₹ 146.25 + ₹ 103.50 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
3	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-116/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड-रायपुर में सहस्त्रधारा रोड़ दुर्गा एन्कलेव में आर0सी0सी0 सेतु का निर्माण कार्य।	12.00	0.84	0.10
4	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-116/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड-रायपुर में नालापानी राव नदी पर ननूरखेड़ा व मंगलूवाला को जोड़ने हेतु 30.00 मी0 स्पान (डबल लेन) के प्रीस्ट्रेस कंक्रीट पुल का निर्माण कार्य।	30 mt	3.08	0.10
5	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-116/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड-रायपुर में राजेश्वरी नगर में नर्सरी के पास दुल्हनी नदी को जोड़ने हेतु 70.00 मी0 स्पान (सिंगल लेन) के प्रीस्ट्रेस कंक्रीट पुल का निर्माण कार्य।	70 mt	6.68	0.10
6	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-116/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड-रायपुर में वाणी विहार में 30 मी0 प्रीस्ट्रैस सेतु का निर्माण कार्य।	30 mt	2.40	0.10
7	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-238/2013 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड-नौगाव में भंकोली से छमरोटा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	6.00 + 30mt	55.62 (₹ 36.60 + ₹ 19.02 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
8	मा मुख्यमंत्री घोषणा सं0:-394/2013 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड-मोरी में रूपिन नदी पर धौला स्थान में 43 मी0 स्पान का लौह मोटर सेतु का निर्माण।	42 mt	3.36	0.10
9	जनपद नैनीताल के विकासखण्ड-ओखलकाण्डा में ग्राम कैड़ागांव के पास लधिया नदी पर 60 मी0 विस्तार पैदल झूला पुल का निर्माण कार्य।	60mt	3.66	0.10

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता-II
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
पुरोला (उत्तरकाशी)

शासनादेश संख्याः– 6969/III(2)/13–38(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 14 नवम्बर, 2013 का सं(

10	जनपद देहरादून के विकासखण्ड–सहसपुर में ग्राम पंचायत पुरुकुल गांव (जसपुर) से ग्राम पंचायत सिंगली तक मोटर मार्ग का निर्माण।	2.00 + 24mt	13.62	0.1
11	जनपद देहरादून के विकासखण्ड–सहसपुर में ग्राम पंचायत रिखोली के हल्दुवाला से ग्राम पंचायत चौकी विरावडी तक सेतु सहित मोटर मार्ग का निर्माण।	2.50 + 24 mt	16.31	0.1(
12	जनपद देहरादून के विकासखण्ड–सहसपुर में एल0के0डी0 मोटर मार्ग के किमी0 4 से गददुवाला चौंक तक मोटर मार्ग का पुनर्निर्माण।	1.00 + 18mt	1.43	0.10
13	जनपद देहरादून के अन्तर्गत विकासखण्ड–सहसपुर में ग्राम पंचायत गल्जवाडी के इन्दिरा नगर से जैदड़ तक मोटर मार्ग का पुनःनिर्माण कार्य।	5.00	7.25	0.10
	योगः–	**58.00 + 10 brg**	**417.93**	**1.30**

(कुल ₹ एक लाख तीस हजार मात्र)

(महिमा)
अनु सचिव

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पृ० सं० 2513 / 20 यातायात/13 दिनांक 20/12/2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1- मुख्य अभियन्ता, कु०/ग० क्षे०, लो०नि० विभाग, पौड़ी/अल्मोड़ा।
2- अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय/सप्तम्/अष्टम्/नवम् वृत्त, लो०नि० विभाग, नैनीताल/उत्तरकाशी/टिहरी/देहरादून।
3- बजट/प्राविधिक वर्ग, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो०नि० विभाग देहरादून।

255-यातायात
24-01-2014

पृ० सं०-2627/07 [illegible] दिनांक 8/1/014

प्रतिलिपि अधि० अभि० 6, 8, 9 वॉ वृत्त लो०नि०वि०, उत्तरकाशी/टिहरी/देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

[illegible]

2627
30/12/013

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता-II
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
पुरोला (उत्तरकाशी)

मुख्य अभियन्ता (ग०क्षे०)
लो०नि०वि० पौड़ी गढ़वाल